कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,पीलीभीत।

पत्रांकः शि0स0 / 6320-25 /2016–17 दिनॉक 02-08-16

प्रबन्धक,
गुरू नानक गुरू दास विधालय,
भोपतपुर सकरिया,
विकास क्षेत्र,पूरनपुर,जनपद पीलीभीत।

विषयः– प्राथमिक स्तर कक्षा–1 सें 5 तक मान्यता का नवीनीकरण के सम्बंध मे।

उपर्युक्त विषयक खण्ड शिक्षा अधिकारी पूरनपुर की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर अवगत कराना है, कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र संख्या शि0स0 6049–51/1999–2000/दिनॉक 16.03.2000 के द्वारा कक्षा–1 से 05 तक की अस्थायी मान्यता निर्गत तिथि से 05 बर्ष के लिए दी गयी थी। शासनादेश संख्या 418/79–6–2013–18 एस(7)/89 दिनॉक 08 मई 2013 मे निहित प्रावधानो के अनुरूप आपका विधालय मानक पूर्ण कर रहा है।

अतः शासनादेश दिनॉक 08 मई 2013 मे निहित प्रावधानो को पूर्ण करने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र संख्या शि0स0 6049–51/1999–2000/दिनॉक 16.03.2000 के द्वारा कक्षा–1 से 05 तक दी गयी मान्यता को नवीनीकरण किया जाता है। भविष्य मे भी शासनादेश दिनॉक 08 मई 2013 का अनुपालन करना सुनिश्चित करे।

Singh 02.8.16
(जय प्रताप सिह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
पीलीभीत।

पृ0स0शि0स0/ ____________ /2016–17 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा मे सूचनार्थ एवं आ0का0हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी,महोदय पीलीभीत।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी,पीलीभीत।
3. जिला अल्संख्यक अधिकारी,पीलीभीत।
4. जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी,पीलीभीत।
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी,पूरनपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
पीलीभीत।

प्रेषक, (अस्थाई मान्यता)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
पीलीभीत।

सेवा में,

प्रबन्धक,
गुरु नानक गुरु दास एकेडमी
ःगोपतपुर सकरिया पूरनपुरःपीलीभीतः।

पत्रॉक-मान्य0/ 703-पीलीभीत।/05-06 दिनांक 02/6/05

विषय:- अशासकीय उ0 प्रा0 विद्यालय को अस्थाई मान्यता प्रदान करने के सम्बंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-646/15.6.1997-18 एस(7)189 लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 में निहित निर्देशानुसार एंव प्रविधानुसार आपके विद्यालयों को मण्डलीय मान्यता समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निम्न शर्तो के अनुसार (कक्षा 6 से 8 तक)अस्थाई मान्यता सत्र 2004-05 से प्रदान की जाती है:-

01 आपके विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में एक-एक अनुभाग मान्य होने के कारण मानक के अनुसार निम्नलिखित शिक्षक एंव शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होगें। तथा पत्र निर्गत की तिथि से दो माह के अन्दर शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी का अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।

1	प्रधानाध्यापक	एक पद
2	सहायक अध्यापक	चार पद (त्रिभाषीय अध्यापक सहित)
3	लिपिक	एक पद
4	चतुर्थ श्रेणी	एक पद
	कुल पद	सात पद

02 विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/ शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत चेक द्वारा वेतन का भुगतान कराया जाये।

03 विद्यालय में शिक्षण का कार्य हिन्दी माध्यम से विभाग द्वारा दिये गये अनुमोदित पाठ्य क्रम ही पढाया जाये।

04 विद्यालय द्वारा निजी भवन की व्यावस्था की जाये।

05 विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक तथा कक्षा 8 से अधिक की कक्षा भविष्य में संचालित न करें।

06 समस्त स्टाफ प्रशिक्षित होना अनिवार्य है।

07 हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जाये।

08 छात्रों से प्राप्त शुल्काय बैंक/पोस्ट आफिस में विद्यालय के नाम खाता खोलकर जमा की जाये तथा सीधे व्यय करना मान्य नही होगा।

अत: आपको शासन एंव विभाग द्वारा समय समय पर प्राप्त आदेशों एंव निर्देशों का पालन आवश्य करना अनिवार्य होगा।शासनादेशों एंव विभागीय आदेशों के विपरीत निर्देशों एवं मान्यता की शर्तो का उल्लंघन करने पर विद्यालय की मान्यता समाप्त की जा सकती है,जिसका अधिकार मान्यता समिति को है।

02/06/05

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
पीलीभीत।

पृ0सं0/मान्य0/ 703-06 /2005-06 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01 सचिव,बेसिक शिक्षा परिषद ,उ0प्र0 इलाहाबाद।

02 सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)तृतीय मण्डल बरेली।

03 सम्बंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
पीलीभीत।